न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द (राजस्थान)

प्रकरण सख्या – 153/2025 (प्रार्थना पत्र)
दायर दिनांक – 18/12/2025
निर्णय दिनांक –22/12/2025

अनवान

1. भगवानसिंह पिता जोधसिंह जाति राजपूत निवासी माता का गांव तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार देवगढ़ जिला राजसमन्द।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

: : निर्णय : :

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का पेश किया जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है कि राजस्व ग्राम माता का गांव पटवार मण्डल नराणा के खाता संख्या 45 के खसरा संख्या 261 रकबा 0.0600 हैक्टेयर सहखातेदारी भूमि स्थित है। उक्त खाते में प्रार्थी का नाम भगवतसिंह पिता जोधसिंह जाति राजपूत दर्ज है जिसके स्थान पर प्रार्थी का नाम भगवानसिंह पिता जोधसिंह शुद्धि कराए जाने बाबत् निवेदन किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जांच हेतु तहसीलदार, देवगढ़ को अग्रेषित किया गया। तहसीलदार, देवगढ़ की जांच रिपोर्ट अनुसार ग्राम माता का गांव के खाता संख्या 45 के खसरा संख्या 261 में भगवतसिंह पिता जोधसिंह दर्ज रिकॉर्ड है परन्तु आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, में प्रार्थी का नाम भगवानसिंह पिता जोधसिंह दर्ज है। अतः ग्राम माता का गांव के खाता संख्या 45 के खसरा संख्या 261 में भगवतसिंह पिता जोधसिंह के बजाय भगवानसिंह पिता जोधसिंह दर्ज किया जाने की अनुशंषा की गई। राजस्व ग्राम माता का गांव के खाता 45 के खसरा संख्या 261 रकबा 0.0600 में भगवतसिंह पिता जोधसिंह जाति राजपूत दर्ज रिकॉर्ड है परन्तु आधारकार्ड, बैंक पासबुक, जन–आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, पैन कार्ड एवं अन्य दस्तावेज में प्रार्थी का नाम भगवानसिंह पिता जोधसिंह दर्ज है। इसी कम में सहखातेदार नारायणसिंह पिता जोधसिंह एवं मनोहरसिंह पिता माधोसिंह के बयान लेखबद्ध किए गए। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन से जाहिर आया कि पूर्व में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ द्वारा खाता संख्या 05 में दुरस्ती के आदेष दिए गए है। अतः पूर्व आदेश एवं सहखातेदार के गवाह बयानों के आधार पर प्रार्थी का भगवानसिंह पिता जोधसिंह किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–::आदेश::–

अतः धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए ग्राम माता का गांव के खाता संख्या 45 के खसरा संख्या 261 रकबा 0.0600 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी का नाम भगवतसिंह पिता जोधसिंह जाति राजपूत के स्थान पर भगवानसिंह पिता जोधसिंह जाति राजपूत नाम दुरस्ती किए जाने की स्वीकृति दी जाती है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। यदि कोई न्यायालय स्थगन या राजकीय हित प्रभावित होता है तो तदानुसार कार्यवाही की जावे, अन्यथा निर्णय अनुसार पालना की जावे। यदि रहन का अंकन है तो तद्नुसार अंकित रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 22/12/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(मोहकमसिंह सिनसिनवार, R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी देवगढ़
जिला राजसमन्द (राज.)